न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 143/2021
आरसीएमएस नं0 2021/00143
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

हरदयाल पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजकुमार पुत्र मोहर सिंह जाति जाट साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.03.2020 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 137/2015 बअनवानी राजकुमार बनाम हरदयाल आदि

श्री हवा सिंह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री राजेश कुमार कौशिक अधिवक्ता रेस्पो सं0 2

निर्णय दिनांकः– 8.6.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी ने उपखण्ड अधिकारी नोहर की अदालत में एक वाद 88, 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर में 1.2650 है0, 16 एनटीआर में 1.012 है0 ... 19 ... भूमि तीनों चकों की कुल 5.3890 है0 भूमि पैतृक जदि जायदाद ... वादी के नाना के नाम दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी ... 10 ता 11 ... से ही 1/7 हिस्सा बनता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी ने बिना खाता विभाजन करवाये एवं स्थगन आदेश के तीनों चकों की भूमि में 3.5420 है0 भूमि दान कर दी व चक 19 एनटीआर की भूमि बैय कर दी इस प्रकार प्रतिवादी अपने 1/7 हिस्सा से ज्यादा भूमि का बैय व दान कर चुका है। शेष भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं0 10 ता 11 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का ब.हि.ब. के हकदार होंगे। वादी की माता लिलावती फौत हो चुकी है जिसका प्रतिवादी नाजायज फायदा उठाना चाहता है इसिलए विवादित भूमि को रहन बैय ना करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे दावा के साथ एक प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया। गैरसायल ने जवाब दरख्वास्त पेश किया कि दादालाई भूमि में हक व हिस्सा होता लेकिन विवादित भूमि नाना के नाम दर्ज है व नाना की भूमि में दोहिते का जन्म से हक नही हेाता विवादित भूमि में सायल का कोई हक व हिस्सा नहीं है वाद भूमि गैरसायल के कब्जा काश्त में है ना ही भूमि को रहन बैय करने का उद्देश्य है। गैरसायल खातेदार काश्तकार है इसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती नाही सायल किसी श्रेणी की टिनेन्ट है। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड मं गैरसायल अपीलांट के नाम दर्ज है एवं विवादित भूमि सायल के नाना के नाम दर्ज है व नाना की भूमि में दाहिते का जन्म से हक नहीं हेाता है विवादित भूमि में सायल का कोई हक व हिस्सा नही है। गैरसायल अपीलांट खातेदार काश्तकार है जिसको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट ने नाराजगी से एवं अपीलाण्ट को तंग व परेशान करने के लिए झूठा दावा एवं प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं भूमि अपीलाट के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है। विचारण न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कतई गलत विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। निर्णय दिनांक 12.03.2020 को हो गया इसके कुछ समय बाद कोविड–19 कोरोना वायरस बिमारी के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया एव अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जो घर पर ही रहता है इस कारण उसे निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 17 एनटीआर, 16 एनटीआर एवं 19 एनटीआर की भूमि तीनों चकों की कुंल 5.3890 है0 भूमि पैतृक जदि जायदाद है जो वादी के नाना के नाम दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी नं0 10 ता 11 का जन्म से ही 1/7 हिस्सा बनता है । अपीलाण्ट ने बिना खाता विभाजन करवाये एवं स्थगन आदेश तके बावजूद तीनों चकों की भूमि में 3.5420 है0 भूमि दान कर दी व चक 19 एनटीआर की भूमि बैय कर दी इस प्रकार प्रतिवादी अपने 1/7 हिस्सा से ज्यादा भूमि को बैय व दान कर चुका है। शेष भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं0 10 ता 11 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का ब.हि.ब. के हकदार होंगे। वादी की माता लिलावती फौत हो चुकी है जिसका प्रतिवादी नाजायज फायदा उठाना चाहता है इसलिए विवादित भूमि को रहन बैय ना करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था क्यों कि वह शेष भूमि को भी रहन बेय कर सकता है रेस्पोडेण्ट के हकों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर होना है यदिभूमि को रहन बैय कर दिया जाता है तो रेस्पोडेण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को स्थगन आदेश से पाबंद किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2014 (2) आरआरटी पेज 965, 2016 आरबीजे पेज 512 एससी का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवंपत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुंत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट हरदयाल के नाम बतौर खातेदारी दर्ज। रेस्पेडेण्ट की माता लीलावती का देहान्त हो चुका है। लीलावती अपने पिता हरदयाल की भूमि में से हिस्सा प्राप्त कर सकती है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोडेण्ट लीलावती का पुत्र होने के कारण लीलावती हिस्से की सम्पति में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। अपीलाण्ट हरदयाल रेस्पोडेण्ट का नाना है। रेस्पोडेण्ट ने भूमि में अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश कर रखा है हक हिस्सों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। चूंकि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट हरदयाल सिंह के नाम दर्ज है, पूर्व में भी हरदयाल द्वारा प्रश्नगत भूमि को बैय एवं दान कर चुका है इसलिए आगे भी भूमि को रहन बेय दान करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब यदि शेष वाद भूमि को दौराने वाद और रहन बैयकर दिया जाता है या जरिये दान स्थानान्तरण कर दिया जाता है रेस्पोडेण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए वाद भूमि को सुरक्षित रखने के लिए एवं उभयपक्ष के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रूटि नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested